

गुरुवार

दिनांक :- 28-12-2017

### शांति भंग करने के 23 आरोपी गिरफ्तार :-

बच्चूसिंह हैड कार्नि 368 थाना बौली ने 1. कालू सिंह पुत्र जंगराज उम्र 24 साल 2. किशोरा पत्नि जंगराज उम्र 50 साल 3. दामोदर पुत्र जंगराज उम्र 19 साल 4. रामानन्द पुत्र श्योकरण उम्र 56 साल 5. दिपक पुत्र रामानन्द उम्र 19 साल 6. राजन्ती पत्नि रामानन्द उम्र 54 साल 7. रसाली पत्नि नाहरसिंह उम्र 20 साल 8. जंगराज पुत्र देवकरण उम्र 50 साल समस्त जातियान गुजर निवासीयान ग्राम रवासा थाना बौली जिला स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार बच्चूसिंह उ0नि0 थाना कोंतवाली स0मा0 ने नवीन गुप्ता पुत्र श्री श्रीकेश गुप्ता जाति महाजन उम्र 45 साल निवासी ग्वालियर नया बाजार पुलिस थाना कम्पू म0प्र0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार पूरण सिंह उ0नि0 थाना मलारना डूंगर ने 1-सूरजमल पुत्र घासीलाल जाति सैनी उम्र 28 साल निवासी हरिपुरा थाना रामगढ पचवारा 2- जाकिर पुत्र समच जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी लोहिंग खुर्द जिला नूहं मेवात हरियाणा 3- कान्हाराम पुत्र रामभजन जाति मीना उम्र 25 साल निवासी पिडवा तहसील बस्सी जयपुर ग्रामीण 4- हेमराज पुत्र मोतीलाल जाति मीना उम्र 27 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार राधेश्याम स0उ0नि0 थाना खण्डार ने 1. रामभरोस पुत्र रमेशचन्द जाति वैष्णव उम्र 35 साल निवासी बोहना 2. विक्रम पुत्र पप्पूलाल जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी नरौला थाना खण्डार जिला स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अतर सिंह हैडकानि0 29 थाना मलारना डूंगर ने 1.रामकेश पुत्र देवीराम उम्र 25 साल निवासी भूखा थाना मलारना डूंगर जिला समा 2. रामगोपाल पुत्र हरवीर जाति रैगर उम्र 32 साल निवासी तेसगांव थाना नादौती जिला करौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार वीरसिंह हैड कानि0 37 थाना मानटाउन ने 01. श्री रायसिंह पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी कुम्हारिया थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर 02.श्री धारा सिंह पुत्र श्री हरिनारायण जाति मीना उम्र 24 साल निवासी बांकरवाडी थाना नगरफोर्ट जिला टोंक 03. श्री देवराज पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी बांकरवाडी थाना नगरफोर्ट जिला टोंक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार ब्रजमोहनपालसिंह स0उ0नि0 थाना बाटौदा ने 1.रुकमकेश 35 साल ,2. बाबूलाल उम्र 54 साल पुत्रान छोटूलाल जाति मीना 3. गिराज पुत्र हजारी लाल उम्र 46 साल निवासीयान मन्दिर वाली ढाणी जीवद थाना बाटौदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

### शराब पीकर वाहन चलाते 03 आरोपी गिरफ्तार :-

च १ 0१ 0 थाना कोतवाली स0मा0 ने 1.श्री बलराम मीना पुत्र श्री मुरारालाल मीना उम्र 23 १ 2. श्री राजेश पुत्र श्री कैलाश जाति ब्राहमण उम्र 24 १ 0 0 3. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 52 १ 104 0 २ ० ० ० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### शराब पीकर उत्पात मचाते एक आरोपी गिरफ्तार :-

जगदीश प्रसाद स0उ0नि0 थाना चौथ का बरवाडा ने राजाराम पुत्र श्री मोतीलाल जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी भेडोली थाना चौथ का बरवाडा स0मा0 को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### दर्ज मुकदमात का 03 आरोपी गिरफ्तार :-

बालकृष्ण उ0नि0 थाना बौली ने दर्ज मुकदमात के आरोपी 1. पुर्णसिंह पुत्र श्री रामनन्द जाति म्र 24 2. १ ३ १ म्र 22 3. १ १ ३ १ जाति गुजर उम्र 29 साल निवासियान रवासा थाना बौली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री राजेन्द्र सिंह चौहान जाति राजपूत निवासी पहैल थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल थानाधिकारी थाना बौली ने दिनांक 13.05.2017 को थाना बौली पर मु0 नं0 161/17 धारा 147,149,353,336,379,427 ता0हि0 व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज कराया था।